

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 3(10)गृह-1 / 2023 (13972) पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 02.06.2026 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस दूरसंचार सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद की वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारी को पुलिस उप अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	वर्ग	पदोन्नति तिथि
1.	श्री प्रमेन्द्र सिंह	14.04.1975	सामान्य	01.04.2025

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। उक्त अधिकारी को रिक्ति दिनांक से नोशनल आधार पर वेतन लाभ देय होगा तथा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सेवाएँ, पुलिस मुख्यालय।
- निदेशक, संचार पुलिस, दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
- वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

